भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं0 318*

10 अगस्त, 2023 को उत्तर के लिए

पीएम स्वनिधि योजना

***318. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः**

डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हेः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास देश में पथ विक्रेताओं की कुल संख्या के संबंध में कोई आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रधान मंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ओडिशा, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या कितनी है और अपंजीकृत पथ विक्रेताओं को इस योजना के अंतर्गत शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इन लाभार्थियों को किस ब्याज दर पर ऋण मिल रहा है और सरकार और लाभार्थियों द्वारा राजसहायता के प्रतिशत का कितना-कितना हिस्सा वहन किया जाएगा;

(घ) प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत से अब तक इसमें निजी क्षेत्र के बैंकों का हिस्सा कितना है;

(ङ) क्या इस योजना में निजी क्षेत्र के बैंकों का हिस्सा बहुत कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने निजी बैंकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और इस योजना में कुल संस्वीकृति और संवितरण में उनकी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(छ) क्या सरकार को इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को निधियां जारी करने में अड़चनें उत्पन्न करने के लिए बैंकों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार द्वारा पथ विक्रेताओं के बीच ई-कॉमर्स को बढ़ाने के लिए अन्य कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य मंत्री

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ज): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

''पीएम स्वनिधि योजना'' के संबंध में दिनांक 10.08.2023 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 318* के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): जैसा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किया गया है, दिनांक 04.08.2023 तक, देश में सर्वेक्षण/सीओवी/एलओआर के माध्यम से चिह्नित पथ विक्रेताओं की कुल संख्या 53,76,074 है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के स्तर पर जिला-वार चिह्नित पथ विक्रेताओं की जानकारी नहीं रखी जाती है।

(ख): दिनांक 04.08.2023 तक, प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि योजना (पीएम स्वनिधि) योजना) के तहत तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ओडिशा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लाभार्थियों की संख्या क्रमशः 1,90,082, 4,22,921, 38,135 और 491 है।

पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 के प्रावधान के अनुसार, सीओवी और आईडी कार्ड जारी करना राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत शहर विक्रय समिति की जिम्मेदारी है। शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/ शहर विक्रय समितियों (टीवीसी) को उन पथ विक्रेताओं तक पीएम स्वनिधि योजना का लाभ पहुंचाने के लिए अनुशंसा पत्र (एलओआर) जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है, जो यूएलबी द्वारा करवाए गए सर्वेक्षण में छूट गए हैं या जिन्होंने सर्वेक्षण पूरा होने के बाद बिक्री कार्य शुरू किया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 के अनुसार पथ विक्रेताओं का नया सर्वेक्षण पूरा करने और सर्वेक्षण किए गए विक्रेताओं को सीओवी जारी करने की सलाह दी गई है।

(ग): पीएम स्वनिधि योजना के तहत, ऋणदाता संस्थानों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार है। ईएमआई के समय पर भुगतान करने पर केंद्र सरकार द्वारा तिमाही आधार पर 7% की ब्याज सब्सिडी का भुगतान किया जाता है।

(घ) से (च): दिनांक 04.08.2023 तक, पीएम स्वनिधि योजना के तहत निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कुल 1,06,919 ऋण वितरित किए गए हैं। योजना के तहत कुल ऋण वितरण में निजी क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी 2.05% है।

योजना के तहत उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) निजी क्षेत्र के बैंकों सहित ऋणदाता संस्थानों के साथ नियमित रूप से संयुक्त/एकल समीक्षा बैठकें आयोजित करते हैं।

(छ): योजना के तहत ऋण की मंजूरी/संवितरण से संबंधित किसी भी मामले में प्राप्त कोई भी शिकायत, यदि कोई हो तो, संबंधित बैंकों को समयबद्ध समाधान के लिए भेज दी जाती है।

(ज): ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर पथ विक्रेताओं को ऑनबोर्ड लाने के लिए इस मंत्रालय ने स्विगी के साथ दिनांक 5 अक्तूबर, 2020 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे 5 अक्टूबर, 2021 को नवीनीकृत किया गया और दिनांक 4 फरवरी, 2021 को ज़ोमैटो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। लगभग 9,400 पथ खाद्य विक्रेताओं को इन ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर ऑनबोर्ड लाया जा चुका है।

*****

दिनांक 10.08.2023 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 318 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-।

देश भर के चिह्नित किए गए पथ विक्रेताओं के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	चिह्नित किए गए पथ विक्रेताओं की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	676
2	आंध्र प्रदेश	4,24,012
3	अरुणाचल प्रदेश	7,605
4	असम	89,124
5	बिहार	1,81,231
6	चंडीगढ़	10,930
7	छत्तीसगढ	1,06,520
8	दादरा और नगर हवेली, दमन	2,928
9	दिल्ली	79,952
10	गोवा	2,881
11	गुजरात	3,21,406
12	हरियाणा	1,17,028
13	हिमाचल प्रदेश	6,486
14	जम्मू एवं कश्मीर	23,694
15	झारखंड	71,923
16	कर्नाटक	2,65,477
17	केरल	25,726
18	लद्दाख	427
19	मध्य प्रदेश	7,23,820
20	महाराष्ट्र	5,84,416
21	मणिपुर	20,841
22	मेघालय	2,133
23	मिजोरम	4,929
24	नागालैंड	4,697
25	ओडिशा	80,841
26	पुदुचेरी	3,144
27	पंजाब	1,49,215
28	राजस्थान	1,93,568
29	सिक्किम	871
30	तमिलनाडु	3,09,449
31	तेलंगाना	6,14,767
32	त्रिपुरा	8,666
33	उत्तर प्रदेश	9,06,910
34	उत्तराखंड	26,483
35	पश्चिम बंगाल	3,298
	कुल	**53,76,074**

****